न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 58 / 2018

महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सोमाराम, जाति माली, निवासी काजडा, तहसील सुरजगढ, जिला झुंझुनूं।

– – अपीलान्ट्स

बनाम

1. सेठ हरनारायण दास ईश्वरदास काजडिया चैरिटेबल एस्टेट कमलागाजी एन एस रोड नरेन्द्र पुर कोलकाता (पश्चिम बंगाल) जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी रामनिरंजन उम्र 80 वर्ष पुत्र स्व. मोतीलाल काजडिया जाति महाजन निवासी कमलगाजी एन एस रोड नरेन्द्रपुर कोलकाता।
2. मदन कुमार पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी काजडा तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनूं
3. तहसीलदार सूरजगढ (भू0अ0) तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2017 नामान्तरकरण संख्या 601 न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किया गया को निरस्त करने बाबत।

––

1. श्री कृष्ण कुमार, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित नही।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 3) की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 29.10.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार (भू0अ0) सूरजगढ के आदेश नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 15.09.2017 भूमि ग्राम काजडा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में अपील अपीलान्ट के अनुसार ग्राम काजडा की सरहद में एक जमीन स्थित है जिसके हाल खसरा नं. 137 रकबा 0.05 हैक्टर, 138 रकबा 0.08 हैक्टर, 139 रकबा 0.73 हैक्टर, कुल रकबा 3.24 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त वर्णित जमीन ठिकाना के समय से ही प्रार्थी अपीलान्ट के पिता सोमाराम काश्त करता था। उपरोक्त वर्णित जमीन का रिकॉर्ड प्रार्थी अपीलान्ट के पिता के नाम से है। उक्त जमीन की खसरा गिरदावरियो मे प्रार्थी अपीलान्ट के पिता का नाम सोमाराम का नाम अंकित है। जमाबन्दी रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उक्त जमीन में उप कृषक के रूप में अपीलान्ट के पिता सोमाराम का नाम दर्ज है। प्रार्थी अपीलान्ट के पिता उक्त जमीन में अपने परिवार सहित रिहायशी मकान बनाकर जीवनभर आबाद रहा है। अब वर्तमान में प्रार्थी अपीलान्ट अपने पिता सोमाराम की मृत्यु के बाद सोमाराम के वारिसान उपरोक्त वर्णित जमीन पर काबिज काश्त है, परिवार सहित उक्त जमीन पर आबाद है। उक्त जमीन वास्तव मे मृतक सोमाराम के वारिसान व प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी की है। उक्त जमीन का वर्तमान राजस्व गलत है, नल एण्ड वोईड है। प्रार्थी अपीलान्ट के अधिकारो के विरूद्ध है। गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उपरोक्त वर्णित जमीन प्रार्थी के पिता की खातेदारी की जमीन थी

उक्त जमीन के सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता सोमाराम ने एक दावा पेश किया। उक्त दावा में रेस्पोडेन्ट नं0 एक आदेश 1 नियम 10 सी पी सी के तहत पक्षकार बना तथा उसने काउन्टर वाद पत्र पेश किया। सोमाराम के वाद पत्र को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा दिनांक 16.12.2015 को अबेट किया तथा रेस्पोडेन्ट नं0 एक के काउंटर क्लेम में आगामी पेशी नियत की गई। उक्त वाद पत्र उनवानी सोमाराम बनाम मंगतूराम मु0नं0 51/15 है। प्रार्थी सोमाराम का वारिस है। सोमाराम के वारिसान व प्रार्थी द्वारा उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ के आदेश दिनांक 16.12.2015 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनू के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2016 को स्थगन आदेश पारित करते हुए विवादित जमीन को रहन बैय अंतरण नही करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। जो अपील उनवानी मृतक सोमाराम बनाम मंगतूराम है। उक्त अपील वर्तमान में भी विचाराधीन है तथा उक्त सगिन आदेश भी आज तक प्रभावी है। रेस्पोडेंट नं0 एक का काउन्टर वाद पत्र मुनं0 51/15 विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेंट नं0 एक ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व बेदखली का दिनांक 21.04.2016 को पेश किया जिसमे तलबी हेतु तारीख पेशी 6.5.2016 नियत की गई। दिनांक 6.5.2016 को पी ओ साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी पेशी 26.5.2016 नियत हुई। दिनांक 26.5.16 को पी ओ साहब दौरे पर होने के कारण आगामी पेशी 16.6.16 नियत हुई। दिनांक 16.6.16 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। एकतरफा कार्यवाही रजिस्टर्ड पोस्ट से समन भेजे एक माह से अधिक समय होने के आधार पर की गई तथा आईन्दा पेशी दिनांक 29.6.2016 को पी डब्लू 1 मुख्तयार मदन कुमार शपथ पत्र पेश हुआ। दिनांक 1.7.16 को बहस सुनना बताया व दिनांक 4.7.16 को मुकदमा एकतरफा डिक्री कर दिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.16 की पालना में तहसीलदार सूरजगढ द्वारा निदांक 23.09.2016 को नामान्तरकरण संख्या 597 रेस्पोडेन्ट नं0 एक नाम से तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 597 दिनांक 23.09.2016 प्रारम्भ से शून्य है तथा नामान्तरकरण सं0 601 गलत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि उक्त जमीन के सम्बन्ध मे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया था तथा दिनांक 23.9.2016 व 15.09.2017 को उक्त स्टे आदेश प्रभाव में था लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार सूरजगढ द्वारा रेस्पोडेंट नं0 1 व 2 के हक में नामान्तरकरण सं0 601 तस्दीक किया गया इसलिए उक्त नामान्तरकरण सं. 601 को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थी की तरफ से अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो के साथ प्रस्तुत है कि तहसीलदार सूरजगढ द्वारा नामांतरकरण संख्या 597 दिनांक 23.09.2016 को तस्दीक किया गया जो कि गलत है व उक्त जमीन का रेस्पोडेन्ट नं0 1 के द्वारा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट सं0 2 को विक्रय किया गया है और उसके आधार पर गलत नामान्तकरण सं0 601 दिनांक 15.09.2017 तस्दीक किया गया है। उक्त दिनांक 15.09.2017 को विवादित जमीन पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं का स्थगन आदेश प्रभावी था। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं द्वारा दिनांक 28.01.2016 को अपील उनवानी मृतक सोमाराम बनाम मंगतुराम वगैरह में विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था। उक्त अपील में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ भी पक्षकार है, जिसको उक्त स्थगन आदेश की जानकारी थी लेकिन उसके बावजुद भी उक्त जमीन के संबंध में स्थगन आदेश होते हुए भी तहसीलदार सूरजगढ द्वारा नामांतरकरण संख्या 601 दिनांक 15.09.2017 तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2016 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं के समक्ष अपील लम्बित है लेकिन उसके बावजूद भी नामांतरकरण तस्दीक किया जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। नामान्तरकरण निर्णय व डिक्री दिनाक 04.07.2016 के अनुसार व विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2016 के अनुसार तस्दीक करना अंकित किया गया है। निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2016 व नामान्तरकरण सं0 601 दिनांक 15.09.2017 इलिगल आर्बिट्रेरी एवं कानून के सिद्धान्तो के विपरीत है। उक्त मुकदमें में न्यायालय द्वारा नेचूरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया है तथा कानून के प्रोसिजर को एडोप्ट नही किया गया है तथा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील पैंडिग है। सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास द्वारा मु.नं. 51/15 में काउटर क्लेम पेश किया गया था। उक्त काउटर क्लेम का अभी तक निर्णय नही

हुआ है तथा सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास द्वारा गलत रूप से दूसरा मुकदमा किया गया तथा दूसरा दावा किया गया उस समय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं का उक्त जमीन के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया हुआ था इसलिए सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास द्वारा गलत रूप से जमीन के सम्बन्ध में स्थगन आदेश होते हुए भी तथा उनका काउंटर क्लेम पेडिग होते हुए भी दूसरा दावा करके गलत रूप से तामील दिखाकर निर्णय व डिक्री पारित कर नामांतरकरण सं. 601 दिनांक 15.09.2017 तस्दीक करवाया है। निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2016 में मुकदमें में प्रतिवादी एक लगायत 29 पक्षकार बनाये गये है तथा 29 नं0 पक्षकार राजस्थान सरकार है। सबके विरूद्ध दिनांक 16.06.2016 को एकतरफा कार्यवाही की गई है। यहां तक कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार का कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में ही स्थित है तथा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के खिलाफ भी एकतरफा कार्यवाही की गई है। जिससे भी स्पष्ट है कि एकतरफा कार्यवाही गलत रूप से की गई है तथा गलत रूप से कार्यवाही करके निर्णय व डिक्री पारित की गई है। पक्षकार नं0 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 काजडा के मूल निवासी है जो सूरजगढ से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिनको कोई समन प्रेषित नही किये गये है ना ही कोई रजिस्टर्ड डाक भेजी गई है। जिनके विरूद्ध दिनांक 16.6.2016 को एकतरफा कार्यवाही हुई है। उसके सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नही किये गये है ना ही रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश की गई है ना ही रजिस्टर्ड डाक विधिवत रूप से जारी की गई है समस्त कार्यवाही गलत रूप से करके निर्णय व डिक्री प्राप्त कर नामांतरकरण सं0 601 दिनांक 15.09.2017 तस्दीक करवाया गया है। वाद पत्र सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास चैरीटेबल ट्रस्ट की तरफ से पेश किया गया था जबकि सेठ हरनारायण दास ईश्वर दास चैरीटेबल ट्रस्ट कभी भी जमीन का खातेदार नही था ना कब्जा है ना कभी कोई सम्बन्ध रहा है ना ही काबिज काश्त है इसलिए जमीन ट्रस्ट के नाम से खातेदारी कर तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 को उक्त जमीन विकय के आधार पर नामांतरकरण सं0 601 तस्दीक कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। सेठ हरनारायण दास चैरीटेबल ट्रेस्ट बताया गया है जो राजस्थान सरकार देव स्थान विभाग में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है जो रजिस्टर्ड नही है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 29 के तहत ट्रस्ट की तरफ से वाद पत्र पेश करने के लिए रजिस्टर्ड होना आवश्यक है अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को दावा पेश करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सूचित किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये गये गलत रूप से नामांतरकरण सं0 601 दिनांक 15.09.2017 तस्दीक किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने काबिज काश्त होने की कोई जांच नही की है ना ही कोई जानकारी लिये गलत रूप से नामांतरकरण सं0 601 तस्दीक किया है। प्रार्थी अपीलान्ट उक्त जमीन पर वास्तव में उक्त जमीन पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 को ना तो जमीन विकय करने का अधिकार है ना ही रेस्पोडेन्ट नं0 2 को उक्त जमीन कय करने का अधिकार है ना ही रेस्पोडेन्ट नं0 2 बोनाफाईड प्रचेजर है। प्रार्थी अपीलान्ट की उक्त जमीन का अन्य किसी के द्वारा विकय या कय किया जा सकता है ना ही कोई कब्जे का ट्रांसफर हुआ है। ना ही रेस्पोडेन्ट न0 2 मदन का उक्त जमीन से कोई सम्बन्ध है, ना ही रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 का उक्त जमीन पर कब्जा काश्त रहा है। गलत रूप से व साजसी तरीके से नामान्तरकरण सं0 601 दर्ज किया गया है। ट्रस्ट की तरफ से मैनेजिंग ट्रस्टी रामनिरंजन की तरफ से दावा पेश किया गया है जबकि रामनिरंजन को ट्रस्ट की तरफ से दावा पेश करने का अधिकार नही है ना ही रामनिरंजन को मदन को मुख्तयार बनाने का अधिकार नही है। ट्रस्ट को कोई प्रस्ताव पेश नही किया गया है। रामनिरंजन ट्रस्ट का मैनेजिग ट्रस्टी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। ट्रस्ट की तरफ से किसी अधिकृत प्रतिनिधि के बयान नही कराये गये है। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के न्यायालय के ज्यूडिसीयल माइड अप्लाई नही किया है बल्कि निर्णय जो पारित किया है वह गलत व आर्बिट्रेरी व कानून के सिद्धान्तो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की है वह मनमाने तरीके से कानून के सिद्धान्तो के विपरित पारित की है जो किसी प्रकार कानून सम्मत नही है। विवादित जमीन ग्राम काजडा के बीच में स्थित है जो काफी किमती जमीन है उक्त जमीन से मदन का कभी भी कोई सम्बन्ध नही रहा है। उक्त जमीन हथियाने के लिए ट्रस्ट के नाम से गलत दावा पेश किया है तथा गलत प्रोसिजर एडोप्ट कर निर्णय प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही व निर्णय किसी भी प्रकार कानून के सिद्धान्तो के अनुरुप नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक

विजय कुमार पुत्र रतनलाल के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है। वादी ने जो प्रतिवादी नं0 11 बनाया था उसका नाम विजय कुमार पुत्र रतनलाल है। उक्त विजय कुमार की मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व हो गई थी जिसके विरूद्ध भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तामील मानकर निर्णय व डिक्री पारित किया है जो गलत है व समस्त कार्यवाही दूषित है। विक्रय पत्र गलत व साजसी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2017 के नामान्तरकरण संख्या ... को निरस्त किया जावे तथा उक्त नामांतरकरण की आड में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो इन्द्राज हुआ है उसको अप्रभावी माना जावे तथा दिनांक 15.09.2017 व दिनांक 23.09.2016 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावे तथा दिनांक 15.09.2017 के पश्चात उक्त नामांतरकरण के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो परिवर्तन किया गया है उसे पूर्व की स्थिति में बहाल किया जावे व खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स बहस के दौरान बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा बहस रेस्पोडेन्ट सं0 1 कायम मुकाम के बिन्दू पर सुनी गई।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि वकील अपीलान्ट प्रकरण द्वारा तारीख पेशी दिनांक 15.4.2020 से बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कायम मुकाम पेश नही किये जा रहे है। इससे जाहिर है कि वकील अपीलान्ट जानबूझकर अपील को अनावश्यक लम्बा खींच रहा है। अपीलान्ट द्वारा करीब 1 वर्ष 6 माह से कायम मुकाम पेश नही किये जा रहे है। अपील को अनावश्यक लम्बित रखा जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कायम मुकाम पेश नही करने की स्थिति मे खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा भरे गये नामान्तरकरण नियमानुसार भरे गये है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अपीलान्ट द्वारा काफी अवसर दिये जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कायम मुकाम पेश नही किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त करनाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वकील अपीलान्ट द्वारा काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कायम मुकाम पेश नही किये गये है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार " Where (a) the plaintiff of the death of defendant, and could not, for that reason, make an application for the substitution of the legal representative of the defendant under this rule within the period specified in the limitation Act, 1963 (36 of 1963), and the suit has, in consequence, abated, " प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु की सूचना की बाबत वकील रेस्पोडेन्टस ने न्यायालय को दिनांक 27.02.2020 को अवगत करवाया गया था। तत्पश्चात् वकील अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कायम मुकाम पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जा चुके है। इसके बावजूद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकाम प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलान्ट की अपील Abated हो चुकी है। ऐसे मे अपील को अनावश्यक लम्बित रखने का कोई औचित्य नही है। अपील औचित्यपूर्ण नही होने से खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं